फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री वरदा **विपक्षी : श्री योगेश**

किस्म मुकदमा –विविध आ.9नि.13 **पत्रावली संख्या : 05/25**

जीसीएमएस : 2025/4

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 31.01.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पूर्व पेशी पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। मूल पत्रावली संख्या 232/24 वाद का अवलोकन किया। प्रकरण में दिनांक 23.12.2024 को एकपक्षीय प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी। प्रार्थी का कथन है कि उक्त प्रकरण में तामील विधिवत नहीं होने से मुझ प्रार्थी को उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी नहीं थी। मुझ प्रार्थी को जानकारी तहसीलदार घासा द्वारा सूचना पत्र भेजे जाने पर हुई। जिसके पश्चात् मूल वाद की प्रतिलिपि प्राप्त कर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया। मैं प्रार्थी जानबुझकर प्रकरण में अनुपस्थित नहीं रहा। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि मूल वाद में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये थे जिसमें प्रार्थी की तामील उनकी पुत्रवधु द्वारा प्राप्त की गई, इससे स्पष्ट है कि उक्त वाद के सम्बन्ध में इनके परिवार को सूचना हो गई थी। प्रार्थी की पुत्रवधु को उक्त वाद के सम्बन्ध में सूचना प्रार्थी को देनी चाहिए थी। प्रार्थी को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए था परन्तु प्रार्थी के कथनानुसार उनके पुत्र व पुत्रवधु अलग रहते हैं। जिससे उनको सूचना नहीं दी गई। सूचना प्राप्त होते ही प्रार्थी द्वारा न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। मामला कृषि भूमि में सम्पति के बंटवाडे का हैं। प्रार्थी का कथन है कि प्रकरण में प्रार्थी को नहीं सुना जायेगा तो प्रार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। चूंकि प्रकरण में प्रार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय डिक्री जारी की गई हैं। इसलिए न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रकरण में प्रार्थी को सुना जाकर नये सीरे से प्रारम्भिक डिक्री जारी किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर मूल वाद प्रकरण संख्या 232/24 वाद योगेश बनाम अम्बावा में जारी निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 23.12.2024 को अपास्त किया जाता हैं। प्रार्थी मूल वाद में अपना जवाब आवश्यक रूप से पेश करें। जरिये अधिवक्ता पक्षकारान को सूचित किया जाता है कि मूल वाद में पेशी दिनांक 17.02.2025 को उपस्थित रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया RAS)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:48:08 IST
Reason: SelfAttested